न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 104 / 2022

1 सुरेश पुत्र मूलाराम।
2 कैलाश पुत्र मूलाराम।
3 बलवीर पुत्र मूलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभु पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 04.08.2022 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 5-7-23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 1984/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने एक दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा उसके साथ ही एक अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर विचारण न्यायालय ने दोनो पक्ष को सुनकर विवाद ग्रस्त आराजियात का संयुक्त खातेदारी की भूमि में अपीलांट को 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मानते हुये अपीलांट को हिस्सा नही विकय करने तथा उसमें निर्माण नही करने के बाबत अपीलांट को कानूनी प्रावधानों के विपरित पाबन्ध करने का गलत आदेश पारित करने का आदेश दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट का 1/2,1/2 हिस्सा है विचारण न्यायालय में बंटवारे का दावा विचाराधीन है। इसके साथ धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें अन्तरिम आदेश जारी किया गया। विचाराधीन निर्णय से दावे के निर्णय तक विकय एवं निर्माण से पाबन्द किया गया है। मौके पर उभयपक्ष बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट के 1/2 हिस्से में अपीलांट द्वारा दखलंदाजी नही की जा रही है। अपीलांट अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग हेतु स्वंतत्र है। विधि अनुसार सहकाश्तकार को स्थगन से पाबन्द नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 172, आर.आर.डी. 1993 पेज 505 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट विभाजन से पूर्व कृषि से अकृषि में भूमि को परिवर्तित कर टुकड़ो में भूमि को बेचने पर आमादा है। विचारण न्यायालय ने विभाजन से पूर्व उभयपक्षों को विशिष्ट भू–भाग का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

बेचान नही करने एंव निर्माण नही करने के लिये पाबन्द करने का आदेश देकर कोई विधिक त्रुटि नही की है। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट ने फर्द के साथ रजिस्ट्री प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट द्वारा विशिष्ट भू–भाग का विक्रय किया जा चुका है। विभाजन से पूर्व विशिष्ट भू–भाग का बेचान विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2010 पेज 96 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट का कथन रहा है कि अपीलांट विभाजन से पूर्व कृषि से अकृषि में भूमि को परिवर्तित कर टुकड़ो में भूमि को बेचने पर आमादा है। विचारण न्यायालय ने विभाजन से पूर्व उभयपक्षों को विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करने एंव निर्माण नही करने के लिये पाबन्द करने का आदेश देकर कोई विधिक त्रुटि नही की है। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट ने फर्द के साथ रजिस्ट्री प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट द्वारा विशिष्ट भू–भाग का विक्रय किया जा चुका है। विभाजन से पूर्व विशिष्ट भू–भाग का बेचान विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर